



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20677

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. - 19284/2025 (मुख्य)

श्रीमती निर्मला देवी.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:आशा परिहार, गीता परिहार, प्रतीक चंद्र

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

के साथ

रिट - A सं. - 71182 वर्ष 2013 (संबंधित)

ओम प्रकाश.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (माध्यम: सचिव) और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:आशा परिहार, गीता परिहार, प्रदीप चंद्र, प्रतीक चंद्र

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता.

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप चंद्र जिनकी सहायता श्री प्रतीक चंद्र अधिवक्ता कर रहे हैं और राज्य की ओर से श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, को सुना गया।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एक संयुक्त बयान दिया गया है कि वे कोई और शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और यह रिट याचिका अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही तय की जाए। पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण 'ताजा/प्रवेश' चरण पर ही किया जा रहा है।
3. मूल रिट याचिकाकर्ता, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद के पुत्र ओम प्रकाश को दिनांक 12.07.1991 को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें वर्ष 1995 में स्थायी कर दिया गया। मूल रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2010 में चुनाव हुए, जिसमें एक व्यक्ति, अंसार अहमद, ग्राम प्रधान के पद के लिए चुने गए; उन्होंने श्रीमती परवीन बेगम को बड़े अंतर से हराया था, जिसके कारण परवीन बेगम के मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। इसके बाद एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके फलस्वरूप कृषि रक्षक अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया; उन्होंने 14.07.2012 को परवीन बेगम को बिना कोई नोटिस जारी किए, उनके विरुद्ध एकपक्षीय जांच की। उक्त जांच रिपोर्ट (दिनांक 14.07.2012) के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट ने श्रीमती परवीन बेगम को दिनांक 14.09.2012 को एक नोटिस जारी किया, ताकि उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया जा सके। इसके बाद, 17.04.2013 को, जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत तीन सदस्यों वाली

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। इस समिति में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (पीलीभीत), सहायक अभियंता (जिला पंचायत, पीलीभीत), और कनिष्ठ अभियंता (जिला ग्राम विकास अभिकरण, पीलीभीत) शामिल थे। तत्पश्चात्, जिला पंचायत राज अधिकारी (पीलीभीत) ने 10.05.2013 को खंड विकास अधिकारी को संबोधित करते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि ग्राम प्रधान के रूप में परवीन बेगम की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। परवीन बेगम ने रिट याचिका संख्या 33263/2013 दायर करते हुए इस आदेश को चुनौती दी; उक्त याचिका को दिनांक 03.07.2013 को स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 03.07.2013 के आदेश के पारित होने के उपरांत, कार्यपालक अभियंता (शारदा सागर कोष, पीलीभीत) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (पीलीभीत) को संबोधित करते हुए दिनांक 04.07.2013 को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बाढ़ के कारण नदी के समीप चल रहे निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने 05.08.2013 की तारीख का एक 'कारण बताओ नोटिस' परवीन बेगम को जारी किया; और पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 02.09.2013 को पारित आदेश के तहत, श्रीमती परवीन बेगम की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ समाप्त हो गईं। साथ ही, उक्त आदेश में, रिट याचिकाकर्ता (जो उस समय 'ग्राम विकास अधिकारी' के पद पर कार्यरत थे) से 4,37,900/- रुपये की राशि की वसूली करने का निर्देश भी जारी किया गया।

4. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ता— जिनका नाम ओम प्रकाश (अब दिवंगत) था ने यह मुख्य रिट याचिका दायर की। 5. मुख्य रिट याचिका में, इस न्यायालय द्वारा 10.01.2014 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक चंद्र और प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 2.9.2013 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश के तहत, पुल के निर्माण में निर्धारित मानदंडों का पालन न करने से संबंधित कुछ आरोपों के आधार पर, राज्य को हुई कुछ आर्थिक क्षति की वसूली, ग्राम प्रधान और याचिकाकर्ता दोनों से बराबर-बराबर करने का प्रयास किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बिना कोई अवसर दिए ही वसूली का ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि प्रारंभ में, इन्हीं आरोपों के आधार पर ग्राम प्रधान की वित्तीय शक्तियाँ छीन ली गई थीं; जिसके परिणामस्वरूप, ग्राम प्रधान ने रिट याचिका संख्या 33263/2013 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस न्यायालय ने दिनांक 3.7.2013 के आदेश द्वारा, वित्तीय शक्तियों को छीनने वाले उस आदेश को रद्द कर दिया था और ग्राम प्रधान की वित्तीय शक्तियों को बहाल करने का निर्देश जारी किया था।

याचिकाकर्ता एक 'ग्राम पंचायत अधिकारी' है। ग्राम प्रधान ने रिट याचिका संख्या 56875/2013 दायर करके दिनांक 2.9.2012 के आदेश को चुनौती दी थी; जिस पर इस न्यायालय ने दिनांक 11.10.2013 के आदेश द्वारा, उस राशि के आधे हिस्से की वसूली पर रोक लगा दी थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा जमा करने का निर्देश दिया गया था (जबकि शेष आधा हिस्सा ग्राम प्रधान द्वारा जमा किया जाना था)।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का मूल-भाव (सार) यह है कि बिना कोई अवसर प्रदान किए, वसूली का ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, एक 'काउंटर-एफिडेविट' (जवाबी हलफनामा) दायर करने की अनुमति दी जाती है; जिसके लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने समय का अनुरोध किया था, और उन्हें चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात्, प्रति-जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

इसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाए।

इस बीच, दिनांक 2.9.2012 के आदेश के अनुपालन में, 4,37,990/- रुपये की राशि की वसूली पर (यदि वह राशि अब तक वसूल नहीं की गई है) रोक जारी रहेगी।"

6. हालाँकि, 19.01.2025 को, मूल रिट याचिकाकर्ता, ओम प्रकाश का निधन हो गया। एक प्रतिस्थापन याचिका दायर की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उनकी विधवा, निर्मला देवी को कानूनी वारिस के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। चूंकि निर्मला देवी— जो मृतक ओम प्रकाश की कानूनी वारिस थीं—को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ (post-retiral benefits) नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए 08.10.2025 को, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पीलीभीत ने एक आदेश पारित किया, जिसमें सेवानिवृत्ति लाभों को अंतिम रूप न देने का निर्णय लिया गया। इसका कारण यह बताया गया कि 02.09.2013 के वसूली आदेश के विरुद्ध एक मुख्य रिट याचिका पहले से ही लंबित थी;

अतः, रिट याचिकाकर्ता निर्मला देवी—जो मृतक की पत्नी हैं—ने संबंधित रिट याचिका दायर की।

7. जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पीलीभीत के दिनांक 08.10.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए, संबंधित रिट याचिका दायर की गई। दोनों रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया और वे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैं।

8. संबंधित रिट याचिका में 20.01.2026 को अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया था, जिसे श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सर्वप्रथम, मुख्य रिट याचिका में जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा दिनांक 02.09.2013 को पारित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता; विशेष रूप से तब, जब दिनांक 02.09.2013 का संपूर्ण आदेश प्रवीण बेगम से संबंधित है, और विचाराधीन आदेश की अंतिम पंक्ति में, केवल वसूली करने के उद्देश्य से रिट याचिकाकर्ता का नाम जोड़ दिया गया है। उनका निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता के पति जो मूल रिट याचिकाकर्ता थे के जीवित रहते हुए, उन्हें किसी भी समय कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया था; फिर भी, मात्र एक कलम की नोक से रिट याचिकाकर्ता पर संयुक्त दायित्व थोप दिया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता; विशेष रूप से तब, जब दिनांक 02.09.2013 का आदेश, किसी भी रूप में—यहाँ तक कि नाममात्र के लिए भी— रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अवैधता का आरोप नहीं लगाता है। उनका कहना है कि सिर्फ इसलिए कि रिट याचिकाकर्ता एक ग्राम विकास अधिकारी है, इस बात को अपने आप में कदाचार का कार्य नहीं कहा जा सकता।

10. जहाँ तक संबंधित रिट याचिका का सवाल है, यह निवेदन किया गया है कि एक बार जब मूल रिट याचिकाकर्ता का निधन 19.01.2025 को हो गया, तो अब रिट याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्रदान किए जाने चाहिए, और यह न्यायालय कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद नई जाँच करने का निर्देश न दे।

11. श्री पी.के. श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने यह निवेदन किया है कि यद्यपि दिनांक 02.09.2013 का आदेश पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता से वसूली करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनके अनुसार, रिकॉर्ड के मुताबिक, मूल रिट याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उनकी मृत्यु के बाद, अब उनकी विधवा उन लाभों की हकदार हैं।

12. मैंने अदालत में किए गए इस निवेदन को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

13. तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मूल रिट याचिकाकर्ता एक ग्राम विकास अधिकारी थे। दिनांक 02.09.2013 को पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें मूल रिट याचिकाकर्ता से एक निश्चित राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 02.09.2013 के आदेश में किसी भी समय रिट याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी कदाचार का आरोप नहीं लगाया गया है, यद्यपि मूल रिट याचिकाकर्ता का नाम उसमें शामिल है, जबकि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि मूल रिट याचिकाकर्ता की मृत्यु दिनांक 19.01.2025 को हो गई थी। अतः, अब प्रतिवादियों को इस मामले में जाँच करने की अनुमति देने का निर्देश देना बहुत देर हो चुकी होगी। चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ता का निधन दिनांक 19.01.2025 को हो चुका है और पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट का दिनांक 02.09.2013 का आदेश एक एकपक्षीय (ex parte) आदेश है, तथा उक्त आदेश से ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है कि रिट याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सरकारी खजाने को धोखा दिया था; और इसके अतिरिक्त, संबंधित रिट याचिका में याचिकाकर्ता उनकी विधवा हैं, इसलिए वह सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों की हकदार हैं।

14. तदनुसार, इन रिट याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

(a) पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 02.09.2013 को पारित आदेश, जहाँ तक वह रिट याचिकाकर्ता से 4,37,900/- रुपये की राशि वसूल करने से संबंधित है, उसे रद्द किया जाता है;

(b) पीलीभीत जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2025 को पारित आदेश, जिसके द्वारा श्रीमती... को उनके लाभों से वंचित करने का प्रयास किया गया है। निर्मला देवी के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के भुगतान का आदेश रद्द किया जाता है;

(c) जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत को एक 'रिट ऑफ़ मैंडमस' (mandamus) जारी किया जाता है कि वे मूल रिट याचिकाकर्ता, ओम प्रकाश के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को उनके कानूनी वारिसों को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वितरित करें; ऐसा करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि दिनांक 02.09.2013 का वह आदेश, जिसके द्वारा 4,37,900/- रुपये की राशि की वसूली की मांग की गई थी, रद्द कर दिया गया है।

15. इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं।

16. श्री पी.के. श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख (रिकॉर्ड) वापस किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

Translated version. Not for Legal Use.

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”